

न्यायालय अति. कलक्टर एवं अति जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी - नरेश बुनकर, RAS

अति. कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 02/2022

Gems reg. No. 2022/35

प्रार्थी :-

पुलिस अधीक्षक,
बांसवाड़ा

अप्रार्थी :-

बनाम श्री राजू पिता चतरा बंजारा निवासी बंजारा बस्ती, सिन्टेक्स
मील के पीछे, हाल भवानपुरा केनाल के पास, थाना
कोतवाली जिला बांसवाड़ा (राज.)

निर्णय

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

दिनांक :- 23.06.2022

- 1- पुलिस अधीक्षक, बांसवाड़ा द्वारा गैर सायल श्री राजू पिता चतरा बंजारा निवासी बंजारा बस्ती, सिन्टेक्स मील के पीछे, हाल भवानपुरा केनाल के पास, थाना कोतवाली जिला बांसवाड़ा (राज.) के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत एक इस्तगासा प्रस्तुत कर राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 03 के तहत कार्यवाही हेतु निवेदन किया।
- 2- पुलिस अधीक्षक, जिला बांसवाड़ा द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार निम्नांकित आधारों पर गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है :-
 1. प्रथम सूचना क्रमांक 204/2008 अन्तर्गत धारा 16/54 आवकारी अधिनियम पुलिस थाना कोतवाली में दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान गैर सायल श्री राजू के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा से दिनांक 28-05-2008 को जरिये फौजदारी प्रकरण संख्या 337/2008 से दोषसिद्ध किया जाकर अपराधी परीक्षा अधिनियम की धारा 4 के तहत एक वर्ष के लिये प्रतिभूति सहित 1000 रु. के बन्ध पत्र पर शान्ति एवं सदाचार बनाये रखने एवं अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करने की शर्त पर तथा परीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत न्यायालय में 50 रु के अभियोजन व्यय से दण्डित किया गया।
 2. प्रथम सूचना क्रमांक 131/2011 अन्तर्गत धारा 16/54 आवकारी अधिनियम पुलिस थाना कोतवाली में दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान गैर सायल श्री राजू के विरुद्ध आरोप पत्र धारा 16/54 में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा से दिनांक 21-09-2012 को जरिये फौजदारी प्रकरण संख्या 207/2011 से दोषसिद्ध किया जाकर अपराधी परीक्षा अधिनियम की धारा 4 के तहत एक वर्ष के लिये प्रतिभूति सहित 2000 रु. के बन्ध पत्र पर शान्ति एवं सदाचार बनाये रखने एवं अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करने की शर्त पर तथा परीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत न्यायालय में 180 रु के अभियोजन व्यय से दण्डित किया गया।
 3. प्रथम सूचना क्रमांक 396/2011 अन्तर्गत धारा 16/54 आवकारी अधिनियम पुलिस थाना कोतवाली में दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान गैर सायल श्री राजू के विरुद्ध आरोप पत्र




न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा से दिनांक 08-10-2012 को जरिये फौजदारी प्रकरण संख्या 468/2011 से दोषसिद्ध किया जाकर अपराधी परीविक्षा अधिनियम की धारा 4 के तहत एक वर्ष के लिये प्रतिभूति सहित 2000 रु. के बन्ध पत्र पर शान्ति एवं सदाचार बनाये रखने एवं अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करने की शर्त पर तथा परीविक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत न्यायालय में 400 रु के अभियोजन व्यय से दण्डित किया गया।

4. प्रथम सूचना क्रमांक 311/2017, अन्तर्गत धारा 16/54 आवकारी अधिनियम पुलिस थाना कोतवाली में दर्ज किया जाकर जाकर बाद अनुसंधान गैर सायल श्री राजू के विरुद्ध आरोप पत्र धारा 16/54 में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जो वर्तमान में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा के न्यायालय में लम्बित है।
 5. प्रथम सूचना क्रमांक 672/2019, अन्तर्गत धारा 19/54 आवकारी अधिनियम पुलिस थाना कोतवाली में दर्ज किया जाकर जाकर बाद अनुसंधान गैर सायल श्री राजू के विरुद्ध आरोप पत्र धारा 19/54 में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जो वर्तमान में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा के न्यायालय में लम्बित है।
 6. इस प्रकार गैरसायल श्री राजू पिता चतरा बंजारा निवासी बंजारा बस्ती, सिन्टेक्स मील के पीछे, हाल भवानपुरा केनाल के पास, थाना कोतवाली जिला बांसवाड़ा (राज.) जो अवैध शराब व्यापार करने पर कुल 5 प्रकरण दर्ज होकर 3 प्रकरणों में दोषसिद्ध ठहराया जाकर सजायाब हुआ है, 2 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। अतः गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत कार्यवाही करने निवेदन किया।
- 3- इस्तगासा दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये समन तलब किया गया। गैरसायल की और से दिनांक 06-06-2022 को अभिभाषक श्री आकाश पटेल द्वारा वकील पत्र प्रस्तुत किया गया।

दिनांक 23-06-2022 को गैर सायल द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपना जुर्म स्वीकार किया। अतः अब किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं रहती है।

अतः आदेश दिया जाता है कि राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत गैर सायल श्री राजू पिता चतरा बंजारा निवासी बंजारा बस्ती, सिन्टेक्स मील के पीछे, हाल भवानपुरा केनाल के पास, थाना कोतवाली जिला बांसवाड़ा (राज.) को बांसवाड़ा तहसील क्षेत्र से 15 दिन के लिये निष्कासित किया जाता है। गैर सायल उक्त 15 दिन की अवधि में बांसवाड़ा तहसील क्षेत्र में विचरण नहीं करेगा एवं न ही पुनः प्रवेश करेगा। इस अवधि में गैरसायल तहसील क्षेत्र, बागीदौरा में निवास करेगा एवं थानाधिकारी बागीदौरा को अपनी उपस्थिति नियमित रूप से दर्ज करावेगा। निर्णय की प्रति पालना हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, बांसवाड़ा को भेजी जावे। यह आदेश दिनांक 30-06-2022 से प्रभावी होगा। यदि गैरसायल के विरुद्ध कोई प्रकरण जिला बांसवाड़ा में स्थित किसी न्यायालय में चल रहा हो तो वह नियत पेशी पर उपस्थित हो सकेगा, परन्तु इसके पूर्व गैर सायल को इस न्यायालय एवं संबंधित थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देनी होगी। न्यायालय में पेशी होने के तुरन्त पश्चात् इस न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित किया जावेगा।

निर्णय आज दिनांक 23-06-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पेशवाली कलशुमार होकर दाखिल दफतर हो।


(अनिल कुमार)
अति. कलकत्ता मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा

